

16.06.25

वकील वादी द्वारा प्राप्त्र प्रस्तुत काने पर फ्रावली
पेशी में ली गई। वकील वादी द्वारा अपना वाद
पत्र नोट पेश किया गया। अतः नोट पेश के
द्वारा पर वादी का वादपत्र इसी स्तर पर
रखा कि जाता है। फ्रावली जैसलधुमार
होकर नम्बर से काम हो। बाद तरीक तकमील
होकर शामिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर पुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(दिव्या शैनी)
RAS.

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

Note present

निर्णय

16-6-25


(श्रीमती श्रीमती)